

झारखण्ड सरकार
उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग

योजना भवन, नेपाल हाऊस, डोरण्डा, राँची

पत्र सं०- वि०प्रा०/कौ० -11/2024

/राँची, दिनांक-

प्रेषक,

राहुल कुमार पुरवार,
सरकार के प्रधान सचिव।

सेवा में,

महालेखाकार
पोस्ट- हिनु, राँची।

द्वारा :- आंतरिक वित्तीय सलाहकार।

विषय:- जिला विज्ञान केन्द्र, बोकारो के निर्माण हेतु प्राक्कलित राशि रू० 10,18,82,000/- (रू० दस करोड़ अठारह लाख बयासी हजार) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में।

आदेश:-स्वीकृत।

झारखण्ड राज्य में विज्ञान को बढ़ावा देने हेतु उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग अन्तर्गत राज्य के 08 जिलों यथा - लोहरदगा, गिरिडीह, हजारीबाग, बोकारो, धनबाद, देवघर, दुमका एवं पलामू में जिला विज्ञान केन्द्रों को नये सिरे से विकसित किया जाना है। इन जिला विज्ञान केन्द्रों में विज्ञान के सिद्धांतों को विभिन्न वैज्ञानिक प्रदर्शों/उपकरणों के माध्यम से अत्यन्त ही सरल ढंग से समझाया जायेगा, जिससे छात्र-छात्राओं को अपने वैज्ञानिक ज्ञान का अधिकतम उपयोग करने एवं वैज्ञानिक सोच बढ़ाने में सहायक होगा। उक्त विज्ञान केन्द्रों को दो भागों में विकसित किया जायेगा - क. असैनिक कार्य, ख. वैज्ञानिक प्रदर्शों के अधिष्ठापन का कार्य।

दिनांक 27.09.2023 को झारखण्ड विज्ञान प्रावैधिकी एवं नवाचार परिषद् के कार्यकारणी समिति की बैठक में जिला विज्ञान केन्द्रों के असैनिक कार्य किसी निर्माण एजेन्सी/झारखण्ड राज्य भवन निर्माण निगम लिमिटेड से तथा वैज्ञानिक प्रदर्शों के अधिष्ठापन का कार्य राष्ट्रीय विज्ञान संग्रहालय परिषद् (NCSM) कोलकाता से कराने के विन्दु पर स्वीकृति दी गयी है। उक्त के क्रम में परिषद् का पत्रांक 245 दिनांक 07.11.2023 द्वारा जिला विज्ञान केन्द्र, बोकारो के असैनिक कार्य संबंधी JSBCL से कराने हेतु DPR उपलब्ध कराने के लिए अनुरोध किया गया। विषयांकित कार्य हेतु उपायुक्त, का पत्रांक 245 दिनांक 06.02.2024 द्वारा बोकारो जिला के चास अंचल अन्तर्गत मौजा-कालापत्थर, थाना सं०-25, खाता सं०-148, प्लॉट सं०-705, रकवा-03 एकड़ गैरमजरूआ खास भूमि चिन्हित की गयी है।

तत्पश्चात् कार्यपालक निदेशक, झारखण्ड राज्य भवन निर्माण निगम लिमिटेड, राँची का पत्रांक 1223 (नि०) दिनांक 06.06.2024 द्वारा जिला विज्ञान केन्द्र, बोकारो को विकसित करने हेतु तकनीकी अनुमोदन Estimate No. 557/T.A/H.E./JSBCL/2024-25, Page No. 247 दिनांक 30.05.2024 के साथ कुल प्राक्कलित राशि रू० 10,18,82,000/- (रू० दस करोड़ अठारह लाख बयासी हजार) मात्र का अभिलेख उपलब्ध कराया गया है, जिसकी विवरणी निम्नवत् है -

क्र०	अवयव के नाम	राशि
1	Main Building	3,25,48,302.00
2	Toilet Block	29,37,916.00
3	Ticket Counter with Guard Shed	31,86,535.00
4	Dismantling	6,13,091.00
4a	Road with Path Way and parking with leveling	1,24,51,768.00
4b	Boundary Wall with Retaining Wall	69,53,762.00
4c	Main Gate with Guard Room	17,42,677.00
4d	Platform Type 1	8,89,320.00
4e	Platform Type 2	5,93,453.00
4f	Telescope Platform	6,81,127.00
4g	Flag Hosting Platform	1,56,422.00
4h	Fabricated Tree	5,35,681.00
4i	Horticulture	31,33,039.00
4j	Children's Play Area Furnishing	51,85,002.00
4k	Irrigation	6,44,101.00
4l	External Electrification	54,83,179.00

4m	CCTV	19,96,486.00
5	Furniture (Building)	16,24,432.00
	Total Cost	8,07,43,202.00
6	Add GST @ 18%	1,45,33,776.00
7	Total Amount with GST	9,52,76,978.00
8	Add Labour Cess @ 1%	9,52,770.00
9	Add JSBCCCL Charge	56,52,024.00
10	Grand Total	10,18,81,772.00
	Say	10,18,82,000.00
(रू0 दस करोड़ अठारह लाख बयासी हजार) मात्र		

अतः उक्त के आलोक में जिला विज्ञान केन्द्र, बोकारो के निर्माण कार्य के लिए प्राक्कलित कुल राशि रू0 10,18,82,000/- (रू0 दस करोड़ अठारह लाख बयासी हजार) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की जाती है।

2. (क). राशि की निकासी राज्य स्कीम मुख्य शीर्ष-2203-तकनीकी शिक्षा-लघुशीर्ष-004-अनुसंधान / उपशीर्ष-41-झारखंड कौंसिल ऑन साईंस एंड टेक्नोलॉजी, राँची, सहायता अनुदान विस्तृत शीर्ष-06-अनुदान के सहायता अनुदान सामान्य (गैर वेतन) इकाई में उपबंधित राशि के अधीन विकलनीय होगा। (विपत्र कोड- **43S22030000441010679**)

(ख). राशि की निकासी राज्य स्कीम मुख्य शीर्ष-2203-तकनीकी शिक्षा-लघुशीर्ष-796-जन-जातीय क्षेत्रीय उपयोजना-उपशीर्ष-41-झारखंड कौंसिल ऑन साईंस एंड टेक्नोलॉजी, राँची, सहायता अनुदान विस्तृत शीर्ष-06-अनुदान के सहायता अनुदान सामान्य (गैर वेतन) इकाई में उपबंधित राशि के अधीन विकलनीय होगा। (विपत्र कोड- **43S22030079641010679**)

3. राशि की निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी कार्यपालक निदेशक, झारखण्ड विज्ञान प्रावैधिकी एवं नवाचार परिषद्, उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग होंगे एवं परिषद् के PL खाते में संधारित राशि से आवश्यकतानुसार निकासी कर नियमानुसार चालान के माध्यम से झारखण्ड राज्य भवन निर्माण निगम लिमिटेड के PL खाते में राशि जमा करेंगे।

4. यह कार्य झारखण्ड राज्य भवन निर्माण निगम लिमिटेड, राँची द्वारा निविदा के माध्यम से कराया जायेगा तथा तकनीकी अनुमोदित प्राक्कलन पर निगम द्वारा तकनीकी स्वीकृति प्रदान करते हुए निविदा कार्य प्रारम्भ करेंगे।

5. स्वीकृत योजना का निर्माण कार्य वित्तीय वर्ष 2024-25 एवं 2025-26 में निष्पादित की जायेगी तथा कार्य अवधि कार्यानुमति निर्गत की तिथि से 11 माह होगी साथ ही कार्य पूर्ण करने के पश्चात एक माह के अन्दर हस्तांतरण की प्रक्रिया पूर्ण कर ली जायेगी।

6. झारखण्ड राज्य भवन निर्माण निगम लिमिटेड द्वारा PWD कोड के सुसंगत नियमों के अन्तर्गत तकनीकी स्वीकृति/अनुमोदन के उपरान्त विषयांकित कार्य संबंधी राशि का नियमानुसार निकासी एवं व्ययन करना सुनिश्चित की जायेगी।

7. स्वीकृत राशि का दूसरे मदों में अपवर्तन या विचलन कदापि नहीं किया जाय, यह संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की व्यक्तिगत जवाबदेही होगी।

8. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी यह आश्वस्त होने के उपरान्त ही उक्त राशि की निकासी करेंगे कि इस कार्य के लिये अन्य स्रोतों से राशि नहीं प्राप्त किया गया है।

9. निदेशक, NCSM, कोलकाता का पत्रांक 313 दिनांक 31.05.2024 द्वारा आठ जिला विज्ञान केन्द्रों में वैज्ञानिक प्रदर्श संबंधी प्राक्कलन विस्तृत विवरणी के साथ उपलब्ध कराया गया है। उक्त के अनुसार जिला विज्ञान केन्द्र, बोकारो की निर्माण कार्य पूर्ण होने के पश्चात केन्द्र में स्थापित की जानेवाली मुख्य वैज्ञानिक प्रदर्शों की विवरणी निम्नवत् होगी -

A. Fun Science Gallery - Infinity Well, Jumping Disc, Grand Shuttle, Curving Tunnel, Chaotic Pendulum, Pin Hall Camera, etc.

B. Science Park-Pulley lifts load, lever reduces effort, who will win the race, Express Route, Roller Coaster, etc.

C. Telescope,

D. Innovation Hub

10. कार्य की प्रगति एवं गुणवत्ता आदि के संबंध में पर्यवेक्षण एवं अनुश्रवण कार्यपालक निदेशक, झारखण्ड विज्ञान प्रावैधिकी एवं नवाचार परिषद् के द्वारा की जायेगी एवं प्रतिवेदन विभाग को समर्पित की जायगी।
11. राशि की निकासी एवं व्ययन वित्त विभाग के परिपत्र सं०-2561 दिनांक-17/04/98 के आलोक में की जाएगी राशि की निकासी एवं व्ययन के पूर्व वित्त विभाग के उपर्युक्त पत्र में निहितदिशा-निर्देश एवं समय-समय पर निर्गत अन्य सुसंगत परिपत्रों का अनुपालन करना आवश्यक होगा।
12. राशि की निकासी सचिवालय कोषागार, डोरण्डा से की जायगी।
13. स्वीकृति राशि के अंकेक्षण का अधिकार, महालेखाकार, झारखण्ड एवं वित्त विभाग (अंकेक्षण) का होगा।
14. झारखण्ड कोषागार संहिता के नियम 174 का पालन सख्ती से किया जाएगा।
15. प्रस्ताव पर माननीय विभागीय मंत्री का अनुमोदन प्राप्त है।
16. प्रारूप पर आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त है।
17. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी व्यय विवरणी, टी०भी०न० सहित संकलित एवं संधारित कर महालेखाकार कार्यालय जाकर लेखाओं का सत्यापन/मिलान त्रैमासिकी सुनिश्चित करेंगे।

झारखंड राज्यपाल के आदेश से

ह०/-

(राहुल कुमार पुरवार)

सरकार के प्रधान सचिव

ज्ञापांक:- वि०प्रा०/कौ० -11/2024

/राँची, दिनांक:-

प्रतिलिपि :-कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, डोरण्डा, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/-

सरकार के प्रधान सचिव

ज्ञापांक- वि०प्रा०/कौ० -11/2024

/राँची, दिनांक-

प्रतिलिपि :-प्रबंध निदेशक, झारखण्ड राज्य भवन निर्माण निगम लिमिटेड, राँची को इस आशय के साथ प्रेषित है कि आवंटित कार्य का निविदा के पश्चात कार्यानुमति निर्गत कर अभिलेख विभाग को उपलब्ध करायी जाय।

ह०/-

सरकार के प्रधान सचिव

ज्ञापांक:- वि०प्रा०/कौ० -11/2024/11/योजना

/राँची, दिनांक:- 31.07.2024

प्रतिलिपि :- योजना एवं विकास विभाग/मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग/उपायुक्त, बोकारो/निदेशक, तकनीकी शिक्षा/कार्यपालक निदेशक, झारखण्ड राज्य भवन निर्माण निगम लिमिटेड, राँची, झारखण्ड/विभागीय प्रधान सचिव के प्रधान आप्त सचिव/कार्यपालक निदेशक, झारखण्ड विज्ञान प्रावैधिकी एवं नवाचार परिषद्/उप महानिदेशक, राष्ट्रीय विज्ञान संग्रहालय परिषद्, (NCSM) कोलकाता/अंचल अधिकारी, बोकारो/बजट पदाधिकारी/नोडल पदाधिकारी को Upload हेतु/प्रभारी निर्गत शाखा उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


30.7.24
सरकार के प्रधान सचिव

